(97)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **मनोज गोयल,**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2806–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–16 पारित द्वारा नायब तहसीलदार टप्पा नालछा तहसील धार प्रकरण कमांक 31/2015–16/अ–12.

परमानन्द पिता दगडिया उर्फ दगडु
निवासी ग्राम मुंडला
तहसील व जिला धार .....आवेदक

विरूद्ध

कैलाश पिता दगडिया उर्फ दगडु
निवासी ग्राम मुंडला
तहसील व जिला धार .....अनावेदक

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री आई.पी. द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 11/1/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार टप्पा नालछा तहसील धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा ग्राम मुंडला स्थित सर्वे नम्बर 260/1, सर्वे नम्बर 181 एवं सर्वे नम्बर 177 रकबा 1.345 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय टप्पा नालछा के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 31/2015–16/अ–12 दर्ज कर राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर, सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा एवं सूचना पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से फील्डबुक मंगाई गई है एवं दिनांक 21–6–16 की आदेशिका में अनावेदक द्वारा अतिरिक्त चालाना जमा किये जाने एवं नकल दिये जाने का उल्लेख किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में समस्त हितबद्ध व्यक्तियों एवं पड़ोसी कृषकों को व्यक्तिशः सूचना पत्र जारी कर तामीली कराना आवश्यक है, परन्तु राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों व्यक्तिशः सूचना दिये बिना ही सीमांकन किया गया है, जो कि संहिता की धारा 129 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि उभय पक्ष के संयुक्त स्वामित्व की भूमि है और संयुक्त स्वामित्व की भूमि के सीमांकन के लिए उभय पक्ष की सहमति आवश्यक है, जबकि वर्तमान प्रकरण में आवेदक द्वारा सीमांकन के लिए कोई सहमति नहीं दी गई है । इस आधार पर कहा गया कि संयुक्त स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने का अधिकार केवल एक सहखातेदार अनावेदक को नहीं है और इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर कोई विचार नहीं करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा सीमांकन शुल्क दिनांक 20–6–16 को जमा किया गया है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक से शुल्क जमा कराये बिना ही सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो कि छलकपटपूर्ण होकर संहिता की धारा 124 से 129 के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों की अनुपस्थिति में उनके पीठ पीछे सीमांकन किया जाकर त्रुटिपूर्ण पंचनामा बनाया गया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं । अतः सीमांकन कार्यवाही दूषत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 1988 आर.एन. 105, 2006 आर.एन. 218 एवं 1980 आर.एन. 244 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र जारी किया

जाकर आवेदक एवं पड़ोसी कृषकों, चौकीदार एवं पंचों की उपस्थिति में अभिलेख से मिलान कर सीमा चिन्ह कायम किये जाकर विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें अनावेदक की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन, पंचनामा एवं सूचना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर नायब तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से फील्डबुक मंगाई गई है । स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा अभी सीमांकन की पुष्टि नहीं की गई है । अतः आवेदक को तहसील न्यायालय में पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उपरोक्त स्थिति में: तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार टप्पा नालछा तहसील धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर